

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस.टी.)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1982 = 100 के आधार पर जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 के औसत सूचकांक 1324 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी:-

दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 1324 पर दिनांक : 01-02-2018 से दिनांक : 31-07-2018 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-

$$\frac{(1324 - 426) \times 2535.00}{426} = 5343.73 \text{ या } 5344$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1324 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01-02-2018 से दिनांक : 31-07-2018 तक
1	अकुशल	2535.00	5344
2	अर्द्धकुशल	2785.00	5871
3	कुशल	3090.00	6514

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क्र. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 1324 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दिनांक 01-02-2018 से दिनांक : 31-07-2018 तक
1	अकुशल	2660.00	5607
2	अर्द्धकुशल	2925.00	6166
3	कुशल	3190.00	6724

Handwritten signature
 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
 हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 523 /4-01/12

दिनांक : 02/02/2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

1- उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।

2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

Handwritten signature
 (डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
 श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
 हल्द्वानी।